बिहार सरकार

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
संकल्प

संचिका संख्या-12/प०क०-09-03/2026
(SHSB/PM/249/2009/P-V)

विषय: राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए पूर्व से अधिसूचित आवश्यक औषधियों की सूची (EDL) में संशोधन।

राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की सरकार की प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुये National List of Essential Medicines (NLEM) एवं Indian Public Health Standards (IPHS) के आधार पर राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आवश्यक औषधियों की सूची (EDL) को टेक्निकल कोर कमिटि की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या 12/प०-08-06/2011-1729(12), दिनांक 08.12.2022 द्वारा अधिसूचित किया गया था। स्वास्थ्य विभागीय आदेश ज्ञापांक 12/प०क०-09-17/2017-1302(12), दिनांक 26.08.2022 द्वारा पुनर्गठित टेक्निकल कोर कमिटि द्वारा पुनः दिनांक 13.12.2024 को उक्त आवश्यक औषधियों की सूची (EDL) को संशोधित किया गया। उपर्युक्त से निर्णित आवश्यक औषधियों को सूची (EDL) में 503 Drug Formulations है।

2. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं जिला अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्तर तक के लिए पूर्व से तैयार आवश्यक औषधि की सूची - Essential Drug List (EDL) की समीक्षा कर EDL में कतिपय आवश्यक औषधियों का समावेशन एवं वर्तमान परिपेक्ष्य में obsolete औषधियों के विलोपन तथा भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के DO.No. Z.18015/3/2019-MMPC-RCH Division, दिनांक 10 जून 2026 द्वारा चिन्हित IPHS - EML की औषधियों को State - EDL में शामिल करने के बिन्दु पर विचारण हेतु EDL के टेक्निकल कोर कमिटि के सदस्यों तथा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के विभागाध्यक्षों एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन के पदाधिकारियों की दिनांक 24.07.2026 को बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पूर्व से अधिसूचित EDL के गहन समीक्षोपरान्त एवं औषधियों के औचित्यपूर्ण एवं विवेकपूर्ण उपयोग (Rational use of Drug) को दृष्टिपथ में रखते हुए आवश्यक औषधियों की सूची (EDL) में कतिपय औषधियों के विलोपन एवं नये औषधियों का समावेशन करने की अनुशंसा की गई। टेक्निकल कोर कमिटि की उक्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है:-

(i) **Dialysis हेतु आवश्यक Consumables/Medical Devices का समावेशन**

राज्य में Chonic Kidney Disease (CKD) एवं अन्य गंभीर Kidney Disease से प्रभावित रोगियों की बढ़ती संख्या तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में Dialysis सेवाओं के विस्तार को देखते हुए Dialysis सेवाओं हेतु निम्नलिखित 16 प्रकार के आवश्यक Dialysis Consumables/Medical Devices को चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अंतर्वासी रोगी कक्ष (IPD) के लिए State EDL में सम्मिलित किया जाता है:-

Sl. No.	Names of Dialysis Consumables/Medical Devices
1	Dialyzer F-6
2	HD Blood Line

Sl. No.	Names of Dialysis Consumables/Medical Devices
3	HD fluid Part A+B (10 Litre Jar)
4	IV Cannula No.16
5	Citric Acid Solution 21% w/v (5 Litre)
6	Femoral Catheter (Single Lume)
7	Guide wire
8	TP. Set
9	Fistula Needle 16 G
10	Plasma Filter
11	3 Lumen Curved Internal jugular Catheter 11.5
12	Non woven adhesive wound dressing 4 Inch
13	Double lumen neckline 11.5 P
14	Double lumen neckline 8.5 P
15	Tunnelled Cuffed Catheter 23 cm
16	Tunnelled Cuffed Catheter 19 cm

(ii) **Cervical Cancer हेतु PAP Smear Kit एवं Karman Cannula का समावेशन**

महिलाओं में Cervical Cancer की रोकथाम एवं शीघ्र पहचान तथा सुरक्षित गर्भसमापन सेवाओं को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से PAP Smear Kit एवं Karman Cannula को Medical Devices/Consumables के रूप में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं जिला अस्पताल के वाह्य रोगी कक्ष (OPD) एवं अंतर्वासी रोगी कक्ष (IPD) के लिए State EDL में शामिल किया जाता है।

Sl. No.	Names of Medical Devices/Consumables
1	**PAP Smear Kit containing :-** (i) Speculum (ii) Cytobrush / Endocervical Brush (iii) Ayre's Spatula (iv) Preservative Vials : A container holding a liquid preservative for liquid-based cytology (LBC).
2	**Karman Suction Cannula :-** (i) No. – 06/08/10/12

(iii) **हृदय-संबंधी उपचार हेतु Tenecteplase Injection का समावेशन**

वर्तमान में Thrombolytic agent के रूप में Tenecteplase Injection मात्र चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में उपलब्ध है, जिसके कारण जिला अस्पतालों एवं उसके नीचे के स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले Thrombotic Cardiovascular Emergency के मरीजों को उपचार प्राप्त करने में कठिनाई होती है। ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले ऐसे अनेक गंभीर मरीज Cardiac Catheterization

Laboratory तक नहीं पहुँच पाते है। ऐसी परिस्थिति में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक के स्वास्थ्य संस्थानों में Tenecteplase Injection उपलब्ध रहने से मृत्यु-दर में कमी लाई जा सकती है।

अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल हेतु पूर्व से अधिसूचित औषधि Tenecteplase Injection को जिला अस्पताल से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) स्तर तक के अंतर्वासी रोगी कक्ष (IPD) तथा सरकार द्वारा Notified Trauma Centres के लिए State EDL में शामिल किया जाता है।

(iv) **<u>अस्थमा, श्वासरोग एवं COPD के ईलाज हेतु Ipratropium Bromide + Levo-Salbutamol Respules का समावेशन</u>**

Acute Bronchial Asthma, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) तथा अन्य Bronchospastic अवस्थाओं में Nebulisation हेतु Ipratropium Bromide + Salbutamol के स्थान पर Ipratropium Bromide + Levosalbutamol Respules को State EDL में सम्मिलित करने का निर्णय लिय गया। साथ ही, उक्त औषधि को सरकार द्वारा Notified Trauma Centres के लिए भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

(v) **<u>Dog-bite/रैबिज के रोगियों के ईलाज हेतु Rabies Immunoglobulin के अंतर्गत Approved Preparations का समावेशन</u>**

Rabies Immunoglobulin के Procurement एवं उपलब्धता में आ रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व से अधिसूचित Rabies Immunoglobulin के अंतर्गत निम्नांकित Approved Preparations को State EDL में शामिल किया जाता है:-

- Equine Rabies Immunoglobulin (ERIG)
- Rabies Monoclonal Antibody (RmAb)

(vi) **<u>अनिमिया के उपचार में प्रयुक्त Iron Sucrose Injection एवं Ferric Carboxymaltose (FCM) Injection के साथ उपयोग हेतु Normal Saline के 100 ml Pack का समावेशन</u>**

Iron Sucrose Injection एवं Ferric Carboxymaltose (FCM) Injection के उपयोग हेतु 0.9% Sodium Chloride Injection (Normal Saline) के 100 ml Pack की आवश्यकता होती है। अतः 0.9% Sodium Chloride Injection (Normal Saline) के 500 ml Pack के साथ-साथ 100 ml Pack को State EDL शामिल किया जाता है।

<u>...ophilia A एवं von Willebrand Disease के उपचार हेतु औषधियों का समावेशन</u>

Haemophilia A एवं von Willebrand Disease के उपचार हेतु EDL में पूर्व से अधिसूचित Dried Human Antihaemophilic Fraction (Freeze Dried Human Coagulation Factor VIII) के अंतर्गत निम्नांकित Preparations को State EDL में शामिल किया जाता है:-

<u>For Haemophilia A :</u>

- Human Coagulation Factor VIII 250 IU
- Human Coagulation Factor VIII 500 IU

<u>For von Willebrand Disease :</u>

- Human Coagulation Factor VIII 250 IU with von Willebrand Factor NLT 250 IU
- Human Coagulation Factor VIII 500 IU with von Willebrand Factor NLT 500 IU

(viii) **इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना (IGIC) के लिए संस्थान-विशिष्ट (Institution Specific) EDL**

इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना राज्य का विशिष्ट सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी संस्थान है, जहाँ गंभीर एवं जटिल हृदय रोगों से ग्रसित रोगियों का उपचार, आपातकालीन कार्डियक सर्जरी तथा अन्य उन्नत हृदय संबंधी प्रक्रियाएँ की जाती है। ऐसे संस्थान में सभी आवश्यक जीवनरक्षक औषधियों, चिकित्सा उपकरणों एवं उपभोग्य सामग्रियों की संस्थागत उपलब्धता अत्यावश्यक है।

अत: कार्डियोलॉजी से संबंधित निम्नलिखित 27 प्रकार की औषधियों, 47 प्रकार के मेडिकल डिवाईसेस/कन्ज्यूमेबल्स एवं 2 प्रकार के Reagents को इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना के लिए State EDL में शामिल किया जाता है, जिसकी सूची निम्नवत् है:-

इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना (IGIC) के लिए संस्थान-विशिष्ट (Institution Specific) EDL		
Sr.	**Name of the Drugs**	**Strength/Specification**
1	Atorvastatin	40 mg Tablet
2	Isosorbide Dinitrate	10 mg Tablet
3	Nicorandil	5 mg & 10 mg Tablet
4	Trimetazidine	60 mg CR Tablet
5	Sacubitril + Valsartan	24 mg + 26 mg
6	Ticagrelor	90 mg Tablet
7	Ranolazine ER	500 mg Tablet
8	Ivabradine	5 mg Tablet
9	Potassium Chloride	600 mg Tablet
10	Ursodeoxycholic Acid	150 mg Tablet
11	Carvedilol	3.125 mg Tablet
12	Acetylcysteine	600 mg Tablet
13	Torsemide + Spironolactone	10 mg + 50 mg Tablet
14	Levothyroxine	25 mcg Tablet
15	Enalapril Maleate	2.5 mg Tablet
16	Losartan potassium	25 mg Tablet
17	Bisoprolol Fumarate	2.5 mg Tablet
18	Cefuroxime Axetil	500 mg Tablet
19	Triclofos	500 mg /5 ml Oral Solution
20	DNS (Dextrose and Normal saline)	5% + 0.45% w/v Injection
21	Isoprenaline	2 mg Injection
22	Acetylcysteine	400 mg Injection
23	Multiple Electrolyte Solution and Dextrose Type II	Injection
24	Tigecycline	Injection 50mg vial
25	Digoxin	0.5 mg Injection
26	Sodium Nitroprusside	25 mg/ml Injection
27	Peritoneal Dialysis solutions	As per IP

Sr.	Name of Medical Device/Consumable Items	Strength/Specification
1	Peritoneal Dialysis Catheter	10 No.
2	Peritoneal Dialysis Catheter	12 No.
3	Peritoneal Dialysis Catheter	14 No.
4	Cardiac Troponin T Rapid Test Kit	
5	Activated Clotting Time (ACT) Test Kit	
6	T.P. (Transseptal Puncture) Catheter	
7	Cardiac Introducer Sheath	
8	L.P. Needle	20 No.
9	Disposable PPE Kit	
10	Zinc oxide Adhesive Tape	
11	Bain Circuit (Paediatric)	
12	Bone Wax	
13	ECG Chest Electrode	
14	ECG Jelly	
15	ECG Paper Roll	For Heidelco Machine
16	ECG Paper	For Philips Machine
17	Endotracheal Tube	Size 3.5 mm
18	Endotracheal Tube	4 mm
19	Endotracheal Tube	4.5 mm
20	Endotracheal Tube	5 mm
21	Endotracheal Tube	6.5 mm
22	Glutaraldehyde Solution	2.45%
23	Hydrogen peroxide combined with Silver	Hydrogen peroxide (10% v/v) combined with Silver (0.01% w/v)
24	Insulin Syringe	1ml
25	Sterile, non-woven adhesive island wound dressing	15 x 9 cm
26	Cetrimide Solution with Chlorhexidine	Existing formulation Cetrimide solution 2% w/v to be changed to Cetrimide Solution equiv to Cetrimide IP 3% w/v + Chlorhexidine gluconate Solution I.P.1.5% v/v
27	Suction Tube	8 No.
28	Suction Tube	10 No.
29	Suction Tube	12 No.
30	Suction Tube	14 No.
31	Suction Tube	16 No.
32	IV Cannula with integrated 3-way stopcock	
33	Formalin Tablet	
34	Formalin Liquid	

Sr.	Name of Medical Device/Consumable items	Strength/Specification
35	Pulse Oximeter	
36	Pipeline Oxygen Flowmeter	
37	Manual Oxygen Flowmeter	
38	Rubber Sheet	
39	Disposable Gown	
40	Disposable Stitch Opener	
41	Round Cutting Needle	10 No.
42	Straight Cutting Needle	09 No.
43	Sterile, non-absorbable, black braided surgical silk suture	Size 1-0
44	Airway	
45	Microtips	
46	Micropipette	Size 0-500 µl
47	ESR Pipette	

Sr.	Name of Reagents	Strength/Specification
1	Anti ABO Blood Group	Blood Grouping Reagent Kit (Anti-A, Anti-B, Anti-D) Monoclonal Antibodies
2	Sodium Citrate 3.2% Prothrombin time	PT Vial

साथ ही, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना को State EDL में पूर्व से अंकित किसी भी औषधि, चिकित्सा उपकरण अथवा उपभोग्य सामग्री की आवश्यकता होने पर उसकी अधिप्राप्ति एवं उपयोग करने की अनुमति होगी, जिससे कार्डियोलॉजी से संबंधित किसी भी प्रकार की चिकित्सीय आवश्यकता में सभी जीवनरक्षक संसाधनों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(ix) राज्य के सरकारी अस्पतालों हेतु उपरोक्त अधिसूचित आवश्यक औषधियों एवं Medical Devices का मानक निम्नरूपेण होगा -

"The standards of quality of drugs included in Essential Drug List (EDL) shall be as set out in the Second Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and relevant provisions of Drugs and Cosmetics Rules, 1945 made there under."

The Product standards for medical devices included in Essential Drug List (EDL) shall be as set out in the Rule- 7 of Medical devices Rules 2017 and Standards Laid down by Department of Pharmaceuticals, Govt. of India vide Letter no. 31026/83/2021-MD Dated 01-02-2022.

(x) आवश्यक औषधियों की सूची (EDL) में निहित औषधियों की सरकारी अस्पतालों में निरंतर आपूर्ति श्रृंखला बनाये रखने की सुदृढ़ व्यवस्था BMSICL के स्तर से की जायेगी। BMSICL द्वारा ससमय औषधियों का दर अनुबंध कार्य पूर्ण किया जायेगा।

(xi) सरकारी अस्पतालों के निदेशक, अधीक्षक, उपाधीक्षक एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर पदस्थापित सी०एच०ओ०, ए०एन०एम० का दायित्व होगा कि आपूरित औषधियों/सामग्रियों का समुचित सदुपयोग सुनिश्चित हो सके और किसी भी परिस्थिति में औषधियों/सामग्रियों का दुरूपयोग, नष्ट एवं तिथिवाद जैसी स्थिति उत्पन्न नही होने पाये।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र की आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार (SHSB), बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (BMSICL) तथा स्वास्थ्य विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों, सभी जिला पदाधिकारियों, सिविल सर्जनों एवं जिला स्वास्थ्य समितियों को दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(कुमार रवि)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 12/प०क०-09-03/2026/1740(12) /पटना, दिनांक 30/09/2026

(SHSB/PM/249/2009/P-V)

प्रतिलिपि- ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 12/प०क०-09-03/2026/1740(12) /पटना, दिनांक 30/09/2026

(SHSB/PM/249/2009/P-V)

प्रतिलिपि-

- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षक), बिहार वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कर्तव्य भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कर्तव्य भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- भारत के औषधि महानियंत्रक, भारत सरकार, नई दिल्ली/केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, भारत सरकार, FDA भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी प्राचार्य, अधीक्षक एवं विभागाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- निदेशक, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अधीक्षक/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी निदेशक/अधीक्षक, अतिविशिष्ट अस्पताल/सरकारी स्वास्थ्य संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को विभागीय/समिति के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/9/24

सरकार के सचिव